

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल

फोन नं 0755 - 2555726 फैक्स नं. 0755 - 2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in
क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2015-16/16353 भोपाल, दिनांक ०9/11/2015
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत-संबंधित(सूची अनुसार),
मध्यप्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आयोजनेत्तर मद अंतर्गत जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों तथा सचिवों के वेतन भत्तों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत।

-0-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये कतिपय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों द्वारा जनपद पंचायत के मूल कर्मचारी एवं सचिवों के वेतन भत्तों हेतु अतिरिक्त मांग तथा संचालनालय में उपलब्ध बजट के आधार पर पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत आहरण संवितरण अधिकारियों(संलग्न सूची अनुसार) को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग संख्या 74-आयोजनेत्तर मद अंतर्गत निम्न योजनाओं में आवंटन जारी किया जाता है :-

1. **मांग संख्या-74**-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{197-जनपद पंचायतों को सहायता}-**(4610)**-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान-9999-आयोजनेत्तर-**#42**-सहायक अनुदान-008-राज्य शासन द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट "अ" के कॉलम-5 अनुसार राशि रूपये **525.00 लाख (राशि रूपये-पाँच करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** का आवंटन जनपद पंचायतों के मूल अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आपकी, जनपद पंचायत को प्रदाय किया जाता है।
2. **मांग संख्या-74**-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-2853-अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-[02]-खानों का विनियमन तथा विकास{198-ग्राम पंचायतों को सहायता}-योजना क्रमांक-(6299)-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-9999-आयोजनेत्तर-**#42**-सहायक अनुदान-007-अन्य, के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट "ब" के कॉलम नं-5 अनुसार राशि रूपये **60.00 लाख(राशि रूपये-साठ लाख मात्र)** का आवंटन "ग्राम पंचायतों के सचिवों के वेतन भत्तों के भुगतान के लिए कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु" आपकी, जनपद पंचायतों को प्रदाय किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-13/2010/22/पं-1, दिनांक 12 मई 2010 के अनुसार जनपद पंचायतों को अन्तरित की जाने वाली राशियां बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जिला पंचायतों को उपलब्ध कराने के वजाय सीधे ही जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराई जाने के संबंध में वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 997 दिनांक 8.10.2009 के अनुसार अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार आवंटन सीधे जनपद पंचायतों को सौंपा जा रहा है।

निरंतर....


11

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आबंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आबंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :-परिशिष्ट-“अ” एवं “ब”

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / पं.रा / बजट / सर्वर / 2015-16 / 16354
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 09 / 11 / 2015

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. समस्त, कौषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

(परिशिष्ट--"अ")

वित्तीय वर्ष 2015-16 में शीर्ष 3604-मांग संख्या-74-योजना क्रमांक-4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान अंतर्गत जनपद पंचायतों के मूल अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन-भत्तो हेतु जारी अतिरिक्त आवंटन

(राशि रुपये में)

क्र0	जिला	क्र0	जनपद पंचायत का नाम	जारी अतिरिक्त आवंटन
1	2	3	4	5
1	श्यापुर	1	श्यापुर	500000
2	मुरैना	2	मुरैना	500000
2	मुरैना	3	अम्बाह	500000
2	मुरैना	4	जौरा	500000
2	मुरैना	5	पहाड़गढ	500000
2	मुरैना	6	सबलगढ	500000
3	भिण्ड	7	भिण्ड	500000
3	भिण्ड	8	अटेर	500000
3	भिण्ड	9	मेहगॉव	500000
3	भिण्ड	10	लहार	500000
4	शिवपुरी	11	शिवपुरी	500000
4	शिवपुरी	12	कोलारस	500000
4	शिवपुरी	13	करैरा	500000
4	शिवपुरी	14	बदरवास	500000
5	गुना	15	बमोरी	500000
5	गुना	16	राधोगढ	500000
6	दतिया	17	दतिया	500000
6	दतिया	18	भाण्डेर	500000
7	देवास	19	देवास	500000
7	देवास	20	सीनकच्छ	500000
8	रतलाम	21	पिपलौदा	500000
9	आगर-मालवा	22	बडोद	500000
9	आगर-मालवा	23	नलखेडा	500000
10	मन्दसौर	24	गरोठ	500000
11	उज्जैन	25	खाचरौद	500000
12	इन्दौर	26	इन्दौर	500000
12	इन्दौर	27	महू	500000
12	इन्दौर	28	सावेर	500000
12	इन्दौर	29	देपालपुर	500000
13	धार	30	बदनावर	500000
13	धार	31	मनावर	500000
13	धार	32	बाकानेर(उमरवन)	500000
13	धार	33	निसरपुर	500000
14	अलिराजपुर	34	जोबट	500000
14	अलिराजपुर	35	कदिठवाड़ा	500000

(राशि रूपये में)

क्र०	जिला	क्र०	जनपद पंचायत का नाम	जारी अतिरिक्त आवंटन
1	2	3	4	5
14	अलिराजपुर	36	उदयगढ़	500000
15	झाबुआ	37	रामा	500000
15	झाबुआ	38	मेघनगर	500000
16	खरगौन	39	भगवानपुरा	500000
17	बड़वानी	40	ठीकरी	500000
17	बड़वानी	41	पानसेमल	500000
18	खण्डवा	42	खडवा	500000
18	खण्डवा	43	पुनासा	500000
18	खण्डवा	44	खालवा	500000
19	भोपाल	45	फन्दा	500000
20	सीहोर	46	सीहोर	500000
20	सीहोर	47	इछावर	500000
21	रायसेन	48	सोंची	500000
21	रायसेन	49	उदयपुरा	500000
22	राजगढ़	50	व्यावरा	500000
23	बैतूल	51	चिचौली	500000
23	बैतूल	52	भैसदेही	500000
23	बैतूल	53	आठनेर	500000
23	बैतूल	54	भीमपुर	500000
24	होशंगावाड	55	होशंगावाड	500000
24	होशंगावाड	56	बाबई	500000
24	होशंगावाड	57	पिपरिया	500000
24	होशंगावाड	58	सिवनीमालवा	500000
25	हरदा	59	हरदा	500000
26	सागर	60	देवरी	500000
26	सागर	61	कंसली	500000
26	सागर	62	खुरई	500000
27	छतरपुर	63	राजनगर	500000
27	छतरपुर	64	लौडी	500000
27	छतरपुर	65	बडामलहरा	500000
28	टीकमगढ़	66	निवाडी	500000
29	जबलपुर	67	कुण्डम	500000
29	जबलपुर	68	पाटन	500000
29	जबलपुर	69	शाहपुरा	500000
30	कटनी	70	ठीमरखेडा	500000
30	कटनी	71	रीठी	500000
30	कटनी	72	विजयराघवगढ़	500000
31	नरसिंहपुर	73	गोटेगाँव	500000
31	नरसिंहपुर	74	करेली	500000
31	नरसिंहपुर	75	साईखेडा	500000
31	नरसिंहपुर	76	चावरपाठा	500000

(राशि रूपये में)

क्र०	जिला	क्र०	जनपद पंचायत का नाम	जारी अतिरिक्त आवंटन
1	2	3	4	5
32	छिन्दवाडा	77	जुन्नारदेव जामई	500000
32	छिन्दवाडा	78	हरई	500000
33	मण्डला	79	मडला	500000
33	मण्डला	80	नैनपुर	500000
34	बालाघाट	81	बालाघाट	500000
34	बालाघाट	82	लाजी	500000
34	बालाघाट	83	किरनापुर	500000
34	बालाघाट	84	बैहर	500000
34	बालाघाट	85	विरसा	500000
34	बालाघाट	86	खैरलाजी	500000
35	रीवा	87	रायपुर कर्चुलियान	500000
35	रीवा	88	हनुमना	500000
35	रीवा	89	जवा	500000
35	रीवा	90	गंगेव	500000
36	सिंगरौली	91	देवसर	500000
37	सीधी	92	कुसमी	500000
38	सतना	93	चित्रकूट (मझगंवा)	500000
39	उमरिया	94	उमरिया(करकेली)	500000
39	उमरिया	95	गोहपारू (पाली)	500000
39	उमरिया	96	मानपुर	500000
40	डिण्डोरी	97	डिंडोरी	500000
40	डिण्डोरी	98	अमरपुर	500000
40	डिण्डोरी	99	करंजिया	500000
40	डिण्डोरी	100	समनापुर	500000
40	डिण्डोरी	101	बजांग	500000
41	शहडोल	102	गोहपारू(पाली)	500000
41	शहडोल	103	जयसिंहनगर	500000
42	अनूपपुर	104	पुष्पराजगढ	500000
42	अनूपपुर	105	कोतमा	500000
महायोग				52500000

(राशि रूपये-पाँच करोड़ पच्चीस लाख मात्र)


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

52

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पंचायत सचिव के वेतन भत्तों हेतु कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक-6299-गौण खनिज से अतिरिक्त किश्त का जारी आवंटन

क्र०	जिला	क्र०	जनपद पंचायत का नाम	वेतन भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक-6299-गौण खनिज से अतिरिक्त किश्त की आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	अशोकनगर	1	मुगावली	2000000
2	देवास	2	बागली	2000000
3	उज्जैन	3	उज्जैन	2000000
कुल योग				6000000

(राशि रुपये-साठ लाख मात्र)


 संयुक्त संचालक(वित्त)
 पंचायत राज संचालनालय
 मध्यप्रदेश